भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2089
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

खोले गए उच्चतर शि क्षा संस्थानों की संख्या

2089. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने उच्चतर शिक्षा संस्थान खोले गए हैं और विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि में उनका क्या योगदान है;
(ख) देश में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ साझेदारी का ब्यौरा क्या है;
(ग) उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि का शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है और तत्संबंधी सुसंगत सहायक आंकड़े क्या हैं; और
(घ) झारखंड, विशेषकर गिरिडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कौशल भारत शिक्षण ढांचे के कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, एआईएसएचई के तहत पंजीकृत उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) अर्थात विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों, कॉलेज और स्टैंडअलोन संस्थानों की कुल संख्या वर्ष 2020-21 में 56,205 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 60,380 हो गई है। उच्चतर शिक्षा में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2020-21 में 4.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में अपने परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। ज़ांज़ीबार-तंजानिया में आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक **5-7-2023** को शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार, आईआईटी मद्रास और शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय (एमओईवीटी) ज़ांज़ीबार-तंजानिया के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही, अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर दिनांक **15-7-2023** को अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने हेतु एमओई, भारत सरकार, आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग (संयुक्त अरब अमीरात) के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एनईपी-2020 में उल्लिखित उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में यूजीसी द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:-

i. यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, विदेशों में भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का ब्रांड निर्माण, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग, जुड़वां व्यवस्था के तहत क्रेडिट मान्यता, वैश्विक नागरिकता दृष्टिकोण और पूर्व विदेशी छात्रों के साथ जुड़ने जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारतीय उच्चतर संस्थानों को वैश्विक पहुंच का अवसर प्रदान किया जा सके।

ii. यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय आयाम देने और विदेशी परिसरों की स्थापना करके भारतीय छात्रों को वहनीय लागत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन केंद्र बनाने के लिए "भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023" जारी किया है। यूजीसी ने पोर्टल (https://fhei.ugc.ac.in) भी विकसित किया और खोला है, जिसके माध्यम से पात्र एफएचईआई विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार भारत में अपने परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

iii. यूजीसी ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच सक्रिय संपर्क, अनुसंधान/शिक्षण सहयोग, संकाय/छात्र आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों प्रस्तुत करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग पर विनियम जारी किए हैं। (https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4555806_UGC-Acad-Collab-Regulations.pdf)

iv. एनईपी 2020 के अनुसार, यूजीसी ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में "अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना" नामक एक पहल शुरू की है जो भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक अभिन्न अंग होगा। यह कार्यालय विदेशी छात्रों के स्वागत और सहयोग से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने, भावी विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी का प्रसार करने और विदेशों में प्रचार गतिविधियों और ब्रांड निर्माण अभियान में शामिल होने के लिए जिम्मेदार होगा।

v. यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को ब्रांड निर्माण के लिए पूर्व छात्रों (विदेशी मूल के और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हेतु एलुमनी कनेक्ट नामक एक पहल शुरू की है। पूर्व छात्रों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कई गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जैसे अपने संबंधित संस्थानों में पूर्व छात्र प्रकोष्ठ की स्थापना, विदेश में रहने वाले पूर्व छात्रों का डेटाबेस बनाए रखना और जानकारी साझा करना और सम्मेलनों में भागीदारी के लिए आमंत्रित करना आदि।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) भारत/विदेशों में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के साथ सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए तकनीकी संस्थानों को भी स्वीकृति देता है।

(ग) देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप कई कदम उठाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एकल, खंडित और डोमेन-विशिष्ट उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान हेतु आवश्यक संस्थागत अवसंरचना के साथ बड़े, बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों में बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम को उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और प्रणाली में लचीलापन लाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, अकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), एक से अधिक प्रवेश और निर्गत के लिए नियम बनाए गए हैं। सभी उच्चतर शिक्षा

संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल होने और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और अधिक भागीदारी की सुविधा के लिए इनके मापदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

भारत सरकार के ऐसे ठोस प्रयासों के कारण, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग" में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या वर्ष 2014 में 9 से बढ़कर वर्ष 2025 में 46 हो गई है। साथ ही, वर्ष 2015 के बाद से वर्ष 2022 में शोध प्रकाशनों की संख्या में लगभग 88% की वृद्धि हुई है। पेटेंट दाखिल करने की संख्या में 55.4% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 42,763 से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 66,440 हो गई। इसके अलावा, एआईएसएचई वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के अनुसार, पीएचडी नामांकन 2.33 लाख है जो 2014-15 से 2022-23 की अवधि के दौरान लगभग दोगुना है।

युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में, समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में, एनईपी, 2020 में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और रोजगार योग्य बन सकें, एआईसीटीई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिकरण, कौशल विकास, संकाय क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करके तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन/सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

एआईसीटीई ऑनलाइन मोड में कौशल विकास पाठ्यक्रम डिजाइन करने हेतु विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है, जिन्हें नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इसने सेल्स फोर्स, एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, यूथ 4 जॉब, मेटा, अमेज़ॅन आईबीएम, सीडैक, बजाज फिनसर्व और व्हीबॉक्स आदि जैसे प्रमुख संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सहयोगों से एकीकृत कार्यक्रमों के विकास की ओर अग्रसर होने की आशा है, जिसमें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और उद्योग–महत्व के कौशल शामिल हैं। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रशिक्षुता को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) कौशल शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए, एनईपी 2020 और राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ़-एसई) 2023 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा को ग्रेड 6 से अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने व्यावसायिक शिक्षा पर एक कार्यकलाप पुस्तक जिसका शीर्षक है– "कौशल बोध" प्रकाशित किया है। यह स्कूलों में परियोजना–आधारित शिक्षणशास्त्र के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को जानकारी प्रदान करेगा। व्यावसायिक शिक्षा को ग्रेड 3 से सभी विषय क्षेत्रों में एकीकृत किया गया है। एनसीईआरटी ने 10 बैगरहित दिनों के लिए दिशानिर्देश भी निकाले हैं जो एकीकृत तरीके से स्थानीय व्यवसायों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं।

*****